भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-63

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

सौभाग्य

***63.श्री सी.एन. जयदेवनः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में शेष सभी घरों में बिजली की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सितंबर, 2017 से आरंभ की गई 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)' के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>**विवरण**</u>

"सौभाग्य" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सौभाग्य योजना की शुरुआत के पश्चात् 27.01.2019 तक 2.47 करोड़ से अधिक घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। योजना में 31.03.2019 तक शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत किए जाने की परिकल्पना की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-73

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

73. श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुमानित 3.14 करोड़ ग्रामीण घर अभी भी बिना विद्युत के हैं और इनमें से अधिकतर गांव बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, ओडिशा इत्यादि में हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस साल अप्रैल तक प्रत्येक घर को विद्युतीकृत करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए तैयार रूपरेखा का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 73 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में 21.30 करोड़ घर हैं जिनमें से 27.01.2019 तक 21.29 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। शेष 83,015 गैर-विद्युतीकृत घर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हैं जिन्हें मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 16,320 करोड़ रुपये के आवंटन सहित प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की है। सौभाग्य के अंतर्गत भारत सरकार राज्यों को अनुदान के रूप में 60% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 85%) की सीमा तक तथा लक्ष्य पूरे किए जाने पर अतिरिक्त अनुदान के रूप में 15% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5%) निधियां देती हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-77

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

जलविद्युत परियोजनाएं

77. श्री देवुसिंह चौहानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रचालनरत जल-विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना द्वारा कितनी जलविद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने जलविद्युत उत्पादन हेतु पूर्वोत्तर राज्यों की क्षमता का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस क्षमता का लाभ लेने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जलविद्युत के उत्पादन हेतु अरूणाचल प्रदेश की क्षमता का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पूर्वोत्तर राज्यों की जलविद्युत क्षमता का लाभ लेने हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

"जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 77 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : वर्तमान में देश में कुल 45399.22 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाले 204 जल विद्युत स्टेशन (25 मेगावाट से अधिक) प्रचालनरत हैं। विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष में दिसंबर, 2018 तक प्रचालनरत जल विद्युत स्टेशनों (25 मेगावाट से अधिक) और उत्पादित जल विद्युत की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : जी, हाँ।

1987 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पूरे किए गए पुन:-अनुमान अध्ययन के अनुसार देश में अभिचिह्नित जल विद्युत क्षमता का अकालन 148701 मेगावाट (25 मेगावाट क्षमता से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) से 145320 मेगावाट) लगाया गया था जिसमें सिक्किम राज्य में 4248 मेगावाट सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 62604 मेगावाट जल विद्युत क्षमता शामिल हैं। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभिचिह्नित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्षेत्र/राज्य	**अभिचिह्नित क्षमता (मेगावाट)**		**विकसित क्षमता (प्रचालनरत)**	
	कुल	25 **मेगावाट से अधिक**	**(मेगावाट)**	**प्रतिशत (%)**
सिक्किम	4286	4248	2169	51.06
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)				
मेघालय	2394	2298	322	14.01
त्रिपुरा	15	0	0	0.00
मणिपुर	1784	1761	105	5.96
असम	680	650	350	53.84
नागालैंड	1574	1452	75	5.17
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	515	1.03
मिजोरम	2196	2131	60	2.82
उप जोड़ (एनईआर)	**58971**	**58356**	**1427**	**2.45**
एनईआर+सिक्किम	**63257**	**62604**	**3596**	**5.74**

अभिचिह्नित जल विद्युत क्षमता में से 3596 मेगावाट विकसित की गई है तथा वर्तमान में कुल 3877 मेगावाट क्षमता की 9 जल विद्युत परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में निर्माणाधीन हैं (**अनुबंध-II**)। शेष जल विद्युत परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा आवंटन, स्वीकृति और सर्वेक्षण एवं जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

निम्नलिखित को शामिल करने के लिए क्षमता का संदोहन करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

I) जल विद्युत नीति, 2008 (अनुवर्ती परिवर्तनों सहित)

- निजी विकासकर्ताओं को स्थल देने के लिए राज्यों द्वारा पारदर्शी चयन प्रक्रिया/मानदंडों का पालन किया जाएगा।
- परियोजना के निष्पादन अर्थात् भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की सहायता को सुनिश्चित करने हेतु मेजबान राज्य को 12% नि:शुल्क विद्युत दिया जाएगा।
- परियोजना विकासकर्ता (सरकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र के जल विद्युत विकासकर्ता) को परियोजना स्थल प्राप्त करने में उनके द्वारा व्यय की गई लागतों की वसूली हेतु सक्षम बनाने के लिए नीति विक्रेय ऊर्जा के अधिकतम 40% तक की मर्चेंट बिक्री द्वारा विकासकर्ता को विशेष प्रोत्साहन की अनुमति देती है।
- परियोजना से 1% अतिरिक्त नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी (मेजबान राज्य के लिए निर्धारित 12% नि:शुल्क विद्युत के अलावा) तथा परियोजना के जीवनकाल के दौरान सतत् और नियमित आधार पर आय सृजन तथा कल्याण योजनाओं/अतिरिक्त अवसंरचना और जन सुविधाओं के सृजन आदि के लिए राजस्व का नियमित स्ट्रीम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि हेतु निर्धारित किया जाएगा।
- विकासकर्ता परियोजना प्रभावित प्रत्येक परिवार को सीओडी से 10 वर्षों के लिए नकद अथवा वस्तु अथवा दोनों के संयोजन में प्रति माह 100 यूनिट उपलब्ध कराएगा।

II) टैरिफ नीति, 2016 (जल विद्युत से संबंधित भाग)

"पर्याप्त व्यस्ततम आरक्षित उपलब्ध कराने, विश्वसनीय ग्रिड प्रचालन तथा परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोतों के एकीकरण के लिए पीएसपी सहित एचईपी उत्पादन को बढ़ावा देना" की नीति के उद्देश्य में एचईपी पर बल देते हुए संवर्द्धन हेतु सरकार का आशय।

- सौर क्रय बाध्यता का अनुमान लगाने के लिए जल विद्युत को शामिल नहीं किया जाना।
- प्रारंभिक वर्षों में टैरिफ भार को कम करने के लिए दीर्घकालीन वित्तीय साधनों का प्रयोग करने के लिए एचईपी के विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन देने हेतु उपयुक्त विनियामक ढांचे के प्रावधान को सक्षम बनाना।
- प्रतिस्पर्द्धी बोली से छूट 2022 तक बढ़ा दी गई है।

III) समयबद्ध मूल्यांकन और निगरानी

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में डीपीआर की जांच के लिए समयबद्ध मूल्यांकन मानदंड तैयार किए गए हैं। संबंधित मूल्यांकन समूहों द्वारा डीपीआर का मूल्यांकन 150 कार्य दिवसों की अवधि में पूरा किया जाएगा जिसमें सचिव, सीईए द्वारा सहमति/मूल्यांकन बैठक आयोजित करना शामिल है।
- सीईए नियमित रूप से स्थल दौरों, विकासकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श और मासिक प्रगति रिपोर्टों के गहन अध्ययन के जरिए निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करता है।

- विद्युत मंत्रालय/सीईए द्वारा तिमाही आधार पर महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए उपस्कर विनिर्माताओं/राज्य यूटिलिटियों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्ताओं के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

(घ) और (ङ) : जी, हाँ। अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता 50328 मेगावाट (25 मेगावाट से अधिक की जल विद्युत योजनाओं के संबंध में 50064 मेगावाट) है। अभिचिह्नित क्षमता में से कुल 515 मेगावाट की 2 जल विद्युत परियोजनाएं अर्थात् रंगानदी (405 मेगावाट) और पारे (110 मेगावाट) राज्य में प्रचालनरत हैं। अरुणाचल प्रदेश में तीन जल विद्युत परियोजनाएं अर्थात् कामेंग (660 मेगावाट), लोअर सुबानसिरी (2000 मेगावाट) तथा गोंगरी (144 मेगावाट) वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। राज्य सरकार ने 49386.5 मेगावाट की कुल क्षमता की 107 जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित की हैं जिनमें से 16952 मेगावाट की 17 जल विद्युत परियोजनाएं सीईए द्वारा स्वीकृत कर दी गई हैं परंतु अभी कार्यान्वयन शुरू किया जाना है और 397 मेगावाट की 7 जल विद्युत परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इन जल विद्युत परियोजनाओं को निर्माण शुरू होने की तारीख से पूरा करने के लिए लगभग 36 से 114 माह का समय लगेगा। इसके अतिरिक्त 12340.5 मेगावाट क्षमता की 20 जल विद्युत परियोजनाएं बेसिन अध्ययन सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है/छोड़ दी गई है।

****

अनुबंध-I

"जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

****

2015-16 से 2018-19 (31.12.2018) तक देश में राज्य-वार जल विद्युत उत्पादन (25 मेगावाट से अधिक)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य/यूटिलिटी/ स्टेशन	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार) (मेगावाट)	वास्तविक उत्पादन (एमयू)			
				2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (31.12.2018 तक)
	हिमाचल प्रदेश						
1	भाखड़ा एल	बीबीएमबी	594	5893	5168	5134	3132
2	भाखड़ा आर	बीबीएमबी	785				
3	देहार	बीबीएमबी	990	3339	3185	3086	2734
4	पोंग	बीबीएमबी	396	1735	1370	1642	1069
5	बैरा सियुल	एनएचपीसी	180	746	669	642	367
6	चमेरा-I	एनएचपीसी	540	2624	2224	2344	2042
7	चमेरा-II	एनएचपीसी	300	1524	1444	1487	1317
8	चमेरा-III	एनएचपीसी	231	1044	917	1068	941
9	पारबती-III	एनएचपीसी	520	643	682	711	608
10	नाप्था झाकड़ी	एसजेवीएन	1500	7314	7051	7208	5914
11	रामपुर	एसजेवीएन	412	1983	1960	2015	1662
12	कोलडैम	एनटीपीसी	800	2309	3225	3314	2737
13	इंटीग्रेटेड कशांग-I	एचपीपीसीएल	195		56	197	107
14	सैंज	एचपीपीसीएल	100			135	379
15	बस्सी	एचपीएसईबी लि.	66	316	298	315	212
16	गिरी बाटा	एचपीएसईबी लि.	60	189	141	170	169
17	लारजी	एचपीएसईबी लि.	126	657	612	612	503
18	संजय	एचपीएसईबी लि.	120	0	187	493	529
19	शानन	पीएसपीसीएल	110	533	473	509	411
20	अलियन दुहांगन	अलियन दुहांगन पावर लि.	192	725	679	683	548
21	मलाना-II	एवरेस्ट पावर निजी लि.	100	354	367	369	328
22	बासपा-II	जेएसडब्ल्यू एनर्जी	300	1305	1343	1337	1187
23	करछम वांगटू	जेएसडब्ल्यू एनर्जी	1000	4726	4372	4570	3657
24	बुधहिल	जीबीएचपीपीएल	70	288	261	318	268
25	चंजू-I	आई एनर्जी प्रा. लि. (आईएईपीएल)	36		11	79	124
26	मलाना	मलाना पावर कंपनी लि. (एमपीसीएल)	86	342	354	346	297
	कुल हिमाचल प्रदेश		**9809**	**38587**	**37050**	**38783**	**31243**
	जम्मू व कश्मीर						
27	चूटक	एनएचपीसी	44	37	44	46	38
28	दुलहस्ती	एनएचपीसी	390	2361	2280	2344	1999
29	निम्मो बाजगो	एनएचपीसी	45	91	95	99	74
30	सलाल-I व II	एनएचपीसी	690	3591	3423	3247	2899
31	सेवा-II	एनएचपीसी	120	597	471	506	314
32	उरी-I	एनएचपीसी	480	3283	2803	2350	2305
33	उरी-II	एनएचपीसी	240	1196	1472	1207	1190
34	किशनगंगा	एनएचपीसी	330			2	438
35	बगलीहार	जेकेएसपीडीसी	450	3000	2185	2507	1909
36	बगलीहार-II	जेकेएसपीडीसी	450	56	1759	1822	1790
37	लोअर झेलम	जेकेएसपीडीसी	105	666	483	481	462
38	अपर सिंध-II	जेकेएसपीडीसी	105	258	363	327	276
	कुल जम्मू व कश्मीर		**3449**	**15136**	**15378**	**14938**	**13694**
	पंजाब						
39	गंगुवाल	बीबीएमबी	78	852	847	494	445

40	कोटला	बीबीएमबी	78			508	452
41	ए.पी. साहिब-I	पीएसपीसीएल	67	669	674	648	344
42	ए.पी. साहिब-II	पीएसपीसीएल	67				
43	मुकेरियां-I	पीएसपीसीएल	45	1169	1084	1271	874
44	मुकेरियां-II	पीएसपीसीएल	45				
45	मुकेरियां-III	पीएसपीसीएल	58.50				
46	मुकेरियां-IV	पीएसपीसीएल	58.50				
47	रंजीत सागर	पीएसपीसीएल	600	1957	1306	1803	1173
	कुल पंजाब		**1096**	**4648**	**3911**	**4724**	**3287**
	राजस्थान						
48	जवाहर सागर	आरआरवीयूएनएल	99	349	308	261	132
49	माही बजाज-I	आरआरवीयूएनएल	50	166	210	180	47
50	माही बजाज-II	आरआरवीयूएनएल	90				
51	आर.पी. सागर	आरआरवीयूएनएल	172	518	449	378	166
	कुल राजस्थान		**411**	**1034**	**966**	**820**	**345**
	राज्य क्षेत्र						
52	खारा	यूपीजेवीएनएल	72	321	269	259	221
53	माताटीला	यूपीजेवीएनएल	31	79	123	94	70
54	ओबरा	यूपीजेवीएनएल	99	160	217	300	152
55	रिहंद	यूपीजेवीएनएल	300	375	567	834	371
	कुल उत्तर प्रदेश		**502**	**935**	**1176**	**1487**	**813**
	उत्तराखंड						
56	धौलीगंगा	एनएचपीसी	280	1090	956	1153	1008
57	टनकपुर	एनएचपीसी	94	452	430	460	385
58	टिहरी	टीएचडीसी लि.	1000	3101	3146	3081	2411
59	कोटेश्वर	टीएचडीसी लि.	400	1248	1225	1220	930
60	चिब्रो (वाई.स्टे.-II)	यूजेवीएनएल	240	814	714	784	669
61	चिल्ला	यूजेवीएनएल	144	754	769	812	480
62	धकरनी (वाई.स्टे.-I)	यूजेवीएनएल	34	137	120	130	119
63	धालीपुर ((वाई.स्टे.-I)	यूजेवीएनएल	51	205	180	187	178
64	खटीमा	यूजेवीएनएल	41	120	180	213	188
65	खोदरी (वाई.स्टे.-II)	यूजेवीएनएल	120	376	333	356	302
66	कुलहल (वाई.स्टे.-IV)	यूजेवीएनएल	30	139	122	124	117
67	मनेरी भाली-I	यूजेवीएनएल	90	487	349	395	372
68	मनेरी भाली-II	यूजेवीएनएल	304	1229	1252	1277	1166
69	राम गंगा	यूजेवीएनएल	198	503	181	251	84
70	श्रीनगर	एएचपीसी लि.	330	901	1281	1383	1238
71	विष्णु प्रयाग	जयप्रकाश पावर वेंचर लि.	400	1211	2042	2161	1779
	कुल उत्तराखंड		**3756**	**12766**	**13282**	**13984**	**11425**
	छत्तीसगढ़						
72	हसदियोबांगो	सीएसपीजीसी	120	323	154	178	219
	कुल छत्तीसगढ़		**120**	**323**	**154**	**178**	**219**
	गुजरात						
73	कदाना पीएसएस	जीएसईसीएल	240	290	339	309	179
74	उकई	जीएसईसीएल	300	492	396	304	168
75	सरदार सरोवर सीएचपीएच	एसएसएनएनएल	250	705	876	563	410
76	सरदार सरोवर आरबीपीएच	एसएसएनएनएल	1200	1466	2333	377	0
	कुल गुजरात		**1990**	**2952**	**3944**	**1552**	**757**
	मध्य प्रदेश						
77	इंदिरा सागर	एनएचडीसी	1000	1974	3321	882	958
78	ओंकारेश्वर	एनएचडीसी	520	955	1428	444	452
79	बनसागर टोन्स-I	एमपीपीजीसीएल	315	574	1239	545	484
80	बनसागर टोन्स-II	एमपीपीजीसीएल	30	107	110	56	24
81	बनसागर टोन्स-III	एमपीपीजीसीएल	60	40	53	69	85
82	बारगी	एमपीपीजीसीएल	90	328	445	159	305
83	गांधी सागर	एमपीपीजीसीएल	115	383	351	351	104
84	मधीखेरा	एमपीपीजीसीएल	60	92	147	23	59
85	राजघाट	एमपीपीजीसीएल	45	37	62	58	58
	कुल एमपी		**2235**	**4491**	**7157**	**2587**	**2529**

	महाराष्ट्र						
86	भीरा टेल रेस	महाजेंको	80	74	102	97	75
87	घाटघर पीएसएस	महाजेंको	250	302	384	153	89
88	कोयना डीपीएच	महाजेंको	36	136	156	135	147
89	कोयना स्टे.-I व II	महाजेंको	600			1051	796
90	कोयना स्टे.-III	महाजेंको	320	2840	3150	499	411
91	कोयना-IV	महाजेंको	1000			945	984
92	तिल्लारी	महाजेंको	60	44	106	58	78
93	वैतर्णा	महाजेंको	60	123	154	205	90
94	पेंच	एमपीपीजीपीसीएल	160	379	360	160	118
95	भंडारधारा-II	(डीएलएचपीपीएल)	34	83	47	43	44
96	भीरा	टाटा पावर कंपनी लि.	150	640	952	341	277
97	भीरा पीएसएस	टाटा पावर कंपनी लि.	150			551	437
98	भिवपुरी	टाटा पावर कंपनी लि.	75	197	207	307	218
99	खोपोली	टाटा पावर कंपनी लि.	72	261	307	316	269
	कुल महाराष्ट्र		**3047**	**5079**	**5924**	**4861**	**4032**
	आंध्र प्रदेश						
100	एन.जे. सागर टीपीडी	एपजेंको	50		7	42	42
101	एन.जे. सागर आरबीसी	एपजेंको	90	0	4	60	91
102	श्रीशैलम आरबी	एपजेंको	770	206	641	575	550
103	अपर सिलेरू-I व II	एपजेंको	240	465	340	482	306
104	लोअर सिलेरू	एपजेंको	460	1233	832	1110	739
	कुल आंध्र प्रदेश		**1610**	**1904**	**1824**	**2269**	**1728**
	कर्नाटक						
105	अमत्ती डैम	केपीसीएल	290	145	404	442	399
106	भद्रा	केपीसीएल	26	40	27	16	37
107	गेरूसोप्पा	केपीसीएल	240	303	277	281	386
108	घाटप्रभा	केपीसीएल	32	32	49	48	59
109	जोग	केपीसीएल	139	318	288	191	149
110	कद्रा	केपीसीएल	150	220	176	193	299
111	काली नदी	केपीसीएल	855	1948	1345	1537	1879
112	सूपा डीपीएच	केपीसीएल	100	325	239	291	396
113	कोडासली	केपीसीएल	120	203	154	171	252
114	लिंगनामक्की	केपीसीएल	55	119	106	126	171
115	मुनीराबाद	केपीसीएल	28	62	31	51	85
116	श्रीवथी	केपीसीएल	1035	2665	2709	2722	3328
117	शिवासमुद्रम	केपीसीएल	42	216	145	177	254
118	वराही	केपीसीएल	460	752	741	762	889
119	टी. बी. डैम	एपजेंको	36	129	81	134	123
120	हम्पी	एपजेंको	36				13
	कुल कर्नाटक		**3644**	**7479**	**6772**	**7143**	**8718**
	केरल						
121	इदमलायर	केएसईबी लि.	75	273	172	256	264
122	इदुक्की	केएसईबी लि.	780	2372	1380	1611	2252
123	कक्कड़	केएसईबी लि.	50	184	132	160	192
124	कुट्टियाडी	केएसईबी लि.	75				
125	कुट्टियाडी एक्सटें.	केएसईबी लि.	50	578	479	601	610
126	कुट्टियाडी एडि. एक्सटें.	केएसईबी लि.	100				
127	लोअर पेरियार	केएसईबी लि.	180	511	307	508	478
128	नेरियामंगलम	केएसईबी लि.	45	351	197	311	333
129	पल्लीवसल	केएसईबी लि.	38	219	166	188	151
130	पन्नियर	केएसईबी लि.	30	174	62	129	87
131	पोरिंगलकुथु	केएसईबी लि.	32	160	91	117	86
132	साबरीगिरी	केएसईबी लि.	300	1171	799	968	1296
133	सेंगुलम	केएसईबी लि.	48	161	116	145	94
134	शोलायर	केएसईबी लि.	54	210	167	205	143
	कुल केरल		**1857**	**6364**	**4067**	**5199**	**5986**
	तमिलनाडु						
135	अलियर	टांजैडको	60	153	62	90	16.11

136	भवानी कट्टालई बैराज-III	टांजैडको	30	157	21	0	27.68
137	भवानी कट्टालई बैराज-II	टांजैडको	30	7	20	38	69.13
138	भवानी कट्टालई बैराज-I	टांजैडको	30	6	17	17	62.22
139	कदमपराई पीएसएस	टांजैडको	400	413	289	384	359.95
140	कोडायर-I	टांजैडको	60	279	169	124	159
141	कोडायर-II	टांजैडको	40				
142	कुंडहा-I	टांजैडको	60	1372	816	806	1306
143	कुंडहा-II	टांजैडको	175				
144	कुंडहा-III	टांजैडको	180				
145	कुंडहा-IV	टांजैडको	100				
146	कुंडहा-V	टांजैडको	40				
147	लोअर मेट्टूर-I	टांजैडको	30	223	92	132	189
148	लोअर मेट्टूर-II	टांजैडको	30				
149	लोअर मेट्टूर-III	टांजैडको	30				
150	लोअर मेट्टूर-IV	टांजैडको	30				
151	मेट्टूर डैम	टांजैडको	50	341	125	52	129
152	मेट्टूर टनल	टांजैडको	200			163	416
153	मोयर	टांजैडको	36	104	62	94	134
154	पापनसम	टांजैडको	32	117	67	115	87
155	पर्सन्स वैली	टांजैडको	30	26	24	27	44
156	पेरियार	टांजैडको	161	505	94	287	648
157	पाईकारा	टांजैडको	59	57	13	1	22
158	पाईकारा अल्टीमेट	टांजैडको	150	281	193	274	427
159	सरकारपथी	टांजैडको	30	79	63	85	81
160	शोलायर-I	टांजैडको	70	264	228	158	165
161	सुरुलियर	टांजैडको	35	93	43	71	85
	कुल तमिलनाडु		**2178**	**4474**	**2397**	**2920**	**4428**
	तेलंगाना						
162	लोअर जुराला	टीएसजैंको	240	9	176	206	153.1
163	एन.जे. सागर पीएसएस	टीएसजैंको	816	88	186	184	241.8
164	एन.जे. सागर एलबीसी	टीएसजैंको	60	0	0	13	51.7
165	पोचमपड	टीएसजैंको	36	0	75	36	25.9
166	प्रियदर्शिनी जुराला	टीएसजैंको	234	30	212	217	165.0
167	पुलीचिंताला	टीएसजैंको	120	0	13	7	17.3
168	श्रीशैलम एलबी	टीएसजैंको	900	155	617	829	947.5
	कुल तेलंगाना		**2406**	**282**	**1280**	**1492**	**1602**
	झारखंड						
169	पंचेट	डीवीसी	80	69	134	142	76
170	सुबर्णरेखा-I	जेयूयूएनएल	65	51	30	190	95
171	सुबर्णरेखा-II	जेयूयूएनएल	65				
	कुल झारखंड		**210**	**120**	**164**	**332**	**171**
	ओडिशा						
172	बालीमेला	ओएचपीसी	510	622	1001	1477	1463
173	हीराकुड-I	ओएचपीसी	348	684	717	863	475
174	हीराकुड-II	ओएचपीसी					
175	रेंगाली	ओएचपीसी	250	599	554	763	783
176	अपर इंद्रावती	ओएचपीसी	600	1760	1522	1746	1667
177	अपर कोलाब	ओएचपीसी	320	767	619	707	716
178	मचकुंड	एपजैंको	115	477	700	468	424
	कुल ओडिशा		**2142**	**4910**	**5113**	**6023**	**5528**
	सिक्किम						
179	रंगित	एनएचपीसी	60	345	347	346	309
180	तीस्ता-V	एनएचपीसी	510	2710	2773	2819	2411
181	तीस्ता-III	तीस्ता ऊर्जा लि. (टीयूएल)	1200		309	4429	3785
182	जोरथांग लूप	डैंस एनर्जी प्रा. लि. (डीईपीएल)	96	75	406	406	382
183	ताशिडिंग	शीघा एनर्जी प्रा. लि. (एसईपीएल)	97			73	390
184	चूजाचैन एचईपी	गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (जीआईपीएल)	110	421	495	445	395
185	दिक्चू	स्नेहा काइनेटिक	96			370	439
	कुल सिक्किम		**2169**	**3552**	**4330**	**8888**	**8112**

	पश्चिम बंगाल						
186	तीस्ता लो डैम-III	एनएचपीसी	132	515	554	387	527
187	तीस्ता लो डैम-IV	एनएचपीसी	160	19	603	495	650
188	मैथॉन	डीवीसी	63	108	122	114	93
189	जलढाका-I	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	36	173	205	145	182
190	पुरूलिया पीएसएस	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	900	1065	1107	1014	822
191	रम्माम-II	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	50	254	248	122	210
	कुल पश्चिम बंगाल		**1341**	**2133**	**2839**	**2278**	**2484**
	अरुणाचल प्रदेश						
192	रंगानदी	नीपको	405	1280	1249	1417	1011
193	पारे	नीपको	110				329
	कुल अरुणाचल		**515**	**1280**	**1249**	**1417**	**1340**
	असम						
194	कोपिली	नीपको	200	782	1088	1173	986
195	खांडोंग	नीपको	50	175	197	261	186
196	कारबी लांगपी	एपीजीसीएल	100	409	397	485	341
	कुल असम		**350**	**1366**	**1682**	**1919**	**1513**
	नागालैंड						
197	दोयांग	नीपको	75	163	259	274	222
	कुल नागालैंड		**75**	**163**	**259**	**274**	**222**
	मणिपुर						
198	लोकटक (मणिपुर)	एनएचपीसी	105	537	741	838	544
	कुल मणिपुर		**105**	**537**	**741**	**838**	**544**
	मेघालय						
199	किरदमकुलई	एमईपीजीसीएल	60	118	65	132	113
200	मिंटडू	एमईपीजीसीएल	126	444	392	502	354
201	न्यू उमतरू	एमईपीजीसीएल	40			160	161
202	उमियम स्टे.-I	एमईपीजीसीएल	36	114	97	129	69
203	उमियम स्टे.-IV	एमईपीजीसीएल	60	185	166	217	143
	कुल मेघालय		**322**	**861**	**720**	**1140**	**840**
	मिजोरम						
204	तुरियल	नीपको	60			78	156
	कुल मिजोरम		**60**	**0**	**0**	**78**	**156**
	अखिल भारत		**45399**	**121377**	**122378**	**126123**	**111719**

****

अनुबंध-II

"जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) - पूर्वोत्तर राज्यों में निर्माणाधीन

क्रम सं.	**राज्य का नाम (निष्पादन एजेंसी)**	**क्षेत्र**	**आई.सी. (सं. x मेगावाट)**	**निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)**	**चालू होने का नवीनतम समय**
	अरुणाचल प्रदेश				
1	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	300.00	2018-19
				300.00	2019-20
2	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00	2022-23 *
3	गोंगरी (दिरांग एनर्जी) #	निजी	2x72	144.00	2022-23 *
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश			**2744.00**	
	सिक्किम				
4	भास्मे (गाटी इंफ्रास्ट्रक्टर)	निजी	3x17	51.00	2021-22*
5	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00	2021-22 *
6	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00	2020-21*
7	रोंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00	2019-20
8	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	निजी	4x125	500.00	2021-22 *
9	पनन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00	2022-23*
	उप-जोड़: सिक्किम			**1133.00**	
	कुल:			**3877.00**	
*	संकटग्रस्त परियोजनाएं। चालू होने की तिथि कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध है।				
#	अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विकासकर्ता के साथ समझौता ज्ञापन समाप्त कर दिया है।				

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-701
जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन

701. श्री राहुल कस्वाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विद्युत उत्पादन क्षेत्र में प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो किन क्षेत्रों और राज्यों में विद्युत उत्पादन की कार्य-योजना का निर्णय ले लिया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हाँ। देश में 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के परंपरागत ईंधन स्रोतों (ताप विद्युत, जल विद्युत और नाभिकीय) तथा नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन का विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष 2018-19 (दिसंबर, 2018 तक) के दौरान राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 349 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो चालू वर्ष 2018-19 (दिसंबर, 2018 तक) के दौरान हुई लगभग 177 गीगावाट की देश की व्यस्ततम विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। भावी मांग प्रक्षेपणों को ध्यान में रखते हुए 2017 से 2022 के दौरान चालू किए जाने हेतु 47855 मेगावाट कोयला विद्युत, 406 मेगावाट गैस विद्युत, 6823 मेगावाट जल विद्युत तथा 3300 मेगावाट नाभिकीय विद्युत की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि प्रक्षेपित हैं। अखिल भारतीय आधार पर 2021-22 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी लक्षित है।

इन उत्पादन क्षमता अभिवृद्धियों से 19वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे के अनुसार 2021-22 के लिए प्रक्षेपित 225 गीगावाट की व्यस्ततम विद्युत मांग तथा 1566 बीयू की ऊर्जा मांग अखिल भारतीय आधार पर पूर्णत: पूरी की जाएगी।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 701 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिसंबर, 2018 तक) के लिए परंपरागत स्रोतों से राज्य-वार उत्पादन

	उत्पादन (एमयू)			
राज्य	**2018-19 (दिलंबर, 18 तक)**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**
अंडमान और निकोबार	99.98	258.79	215.56	182.85
आंध्र प्रदेश	47281.46	61851.80	65248.16	58230.59
अरुणाचल प्रदेश	1339.98	1416.74	1249.01	1280.25
असम	5381.26	5972.12	5981.37	4522.12
बीबीएमबी	7831.01	10864.14	10570.00	11818.9
भूटान (आयात)	4322.12	4778.33	5617.34	5244.21
बिहार	23730.92	28440.03	24514.85	20827.01
छत्तीसगढ	88645.95	110041.76	105686.18	89513.29
दिल्ली	6155.66	7048.70	6253.26	6206.1
डीवीसी	26659.15	35950.56	33566.47	28029.93
गोवा	0.00	0.00	0.00	0
गुजरात	70320.77	96519.87	99748.61	104917.3
हरियाणा	19520.77	26605.97	18890.44	22247.14
हिमाचल प्रदेश	23898.03	28412.65	26853.98	27087.49
जम्मू और कश्मीर	13693.58	14937.56	15377.69	15136.15
झारखंड	10349.60	13997.33	14727.43	15933.67
कर्नाटक	35825.53	44668.81	43766.67	47553.25
केरल	5987.57	5248.02	4130.61	6653.34
मध्य प्रदेश	90804.72	111333.00	98599.98	95740.5
महाराष्ट्र	103663.10	124308.77	118091.71	117244.4
मणिपुर	544.38	837.74	741.07	536.64
मेघालय	1026.02	1401.03	916.70	1035.99
मिजोरम	156.14	78.37	0	0
नागालैंड	221.93	274.39	258.94	163.14
ओडिशा	35151.63	46512.83	55841.18	57221.8
पुडुचेरी	181.45	226.45	246.84	227.59
पंजाब	23733.57	28958.56	26492.18	23342.89
राजस्थान	**42092.22**	**51643.61**	**51792.17**	**53947.35**
सिक्किम	8112.00	8887.99	4330.40	3551.92
तमिलनाडु	62711.84	82386.30	84581.68	76406.83
तेलंगाना	37660.83	49913.97	43391.23	36868.2
त्रिपुरा	4873.95	5999.27	5873.89	5109.38
उत्तर प्रदेश	94872.39	128542.28	120142.11	111329.5
उत्तराखंड	12306.01	15606.60	14250.54	12765.92
पश्चिम बंगाल	40777.11	52381.91	52192.69	46946.62
कुल जोड़	**949932.63**	**1206306.25**	**1160140.94**	**1107822.26**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 701 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिसंबर, 2018) के दौरान राजस्थान सहित नवीकरणीय स्रोतों से राज्य-वार उत्पादन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19 (दिसंबर, 2018 तक)	2017-18	2016-17	2015-16
1	अंडमान और निकोबार	18.12	19.65	20.03	18.72
2	आंध्र प्रदेश	11380.14	10597.47	5483.26	3106.61
3	अरुणाचल प्रदेश	1.28	0.70	27.43	18.44
4	असम	16.57	24.49	14.15	90.94
5	बिहार	246.42	309.06	292.53	165.11
6	चंडीगढ़	11.56	7.87	13.16	3.40
7	छत्तीसगढ़	744.38	1069.21	1446.22	1202.42
8	दादरा और नगर हवेली	3.89	5.23	1.31	0.50
9	दमन और दीव	13.09	18.53	14.43	4.25
10	दिल्ली	221.25	241.09	144.73	128.97
11	डीवीसी	1.81	9.54	14.09	118.26
12	गुजरात	10666.47	11759.63	9497.99	8003.73
13	हरियाणा	479.62	560.70	449.54	1343.15
14	हिमाचल प्रदेश	2074.25	1903.05	2015.58	1921.77
15	जम्मू और कश्मीर	260.89	324.37	326.12	304.79
16	झारखंड	13.92	19.47	38.47	19.77
17	कर्नाटक	16479.89	13463.98	9585.68	10061.03
18	केरल	618.85	774.32	562.72	618.78
19	लक्षद्वीप	0.94	1.79	1.59	1.02
20	मध्य प्रदेश	5914.53	6292.90	5268.67	2910.42
21	महाराष्ट्र	11186.39	12036.98	11292.70	10756.58
22	मणिपुर	0.89	0.15	0.01	0.00
23	मेघालय	40.41	70.56	59.10	65.96
24	मिजोरम	27.74	54.67	49.62	27.62
25	नगालैंड	78.86	91.00	92.73	88.73
26	नीपको	36.97	6.71	6.89	6.15
27	एनटीपीसी अंडमान/तालचर	14.15	20.43	20.00	18.91
28	एनटीपीसी दादरी/एफबीडी/ऊंचाहार/सिंगरौली/भदला	388.07	480.99	74.90	42.41
29	एनटीपीसी राजगढ़/रोजमल/मंदसौर	414.18	381.99	82.21	81.00
30	एनटीपीसी रामागुंडम/अनंतपुरम	314.89	426.37	350.53	16.02
31	ओडिशा	475.43	517.56	507.71	434.45
32	ऑयल इंडिया लि. (मध्य प्रदेश और गुजरात)	191.97			
33	ऑयल इंडिया लि. (राजस्थान)	89.08	251.25	227.20	193.67
34	पुडुचेरी	1.71	1.17	0.34	0.00
35	पंजाब	1755.52	2343.87	2149.49	1474.20
36	**राजस्थान**	**8544.53**	**9484.23**	**7973.85**	**6600.24**
37	सिक्किम	23.53	30.54	35.78	41.93
38	तमिलनाडु	14705.30	16179.86	15153.87	9331.47
39	तेलंगाना	5045.80	4632.28	1999.89	1027.90
40	त्रिपुरा	30.52	44.48	46.47	18.47
41	उत्तर प्रदेश	3347.57	4606.29	3638.26	3201.49
42	उत्तराखंड	833.09	1184.50	999.19	703.42
43	पश्चिम बंगाल	1209.24	1590.54	1569.77	1608.15
	कुल	**97923.70**	**101839.48**	**81548.21**	**65780.85**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-728
जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

728. श्री बी.वी. नाईकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई गैस आधारित विद्युत संयंत्र बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उन संयंत्रों को कोई राजसहायता और कर रियायत दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अब ईंधन के उपयोग को बढ़ाने और राष्ट्र को एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए बंद पड़े गैस आधारित 25 जीडब्ल्यू क्षमता वाले संयंत्रों का पुनरुद्धार करने का है; और

(ङ) इस मामले में निर्णय कब तक लिया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : घरेलू गैस की उपलब्धता नहीं होने के कारण देश में गैस आधारित कुल 14305 मेगावाट उत्पादन क्षमता संकटग्रस्त है। इन गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) : द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और प्राकृतिक गैस (एनजी) के आयात पर कोई सीमा शुल्क नहीं है, यदि यह विद्युत ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए अथवा ग्रिड को वैद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के कारोबार में लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2(28) में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जाती है।

(घ) और (ङ) : गैस आधारित विद्युत संयंत्र द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करने, विद्युत का उत्पादन करने और इसे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) ने कहा है कि विद्युत क्षेत्र को घरेलू गैस की आपूर्ति उत्पादन के वर्तमान स्तर के अनुसार की जा रही है तथा विद्युत क्षेत्र को घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भविष्य में उत्पादन के स्तरों में वृद्धि करने की स्थिति में ही तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार ही सुधर सकती है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 728 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

स्ट्रैंडिड गैस आधारित क्षमता (अखिल भारत)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य
1	गौतमी सीसीपीपी	पी	जीवीके गौतमी पावर लि.	464	आंध्र प्रदेश
2	जीएमआर - काकीनाडा (तनीरवावी)	पी	जीएमआर एनर्जी	220	आंध्र प्रदेश
3	जेगुरूपडू सीसीपीपी	पी	जीवीके इंडस्ट्रीज लि.	220.5	आंध्र प्रदेश
4	कोनासीमा सीसीपीपी	पी	कोनासीमा पावर	445	आंध्र प्रदेश
5	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी.	पी	लैंको पावर	366	आंध्र प्रदेश
6	वेमागिरी सीसीपीपी	पी	जीएमआर एनर्जी	370	आंध्र प्रदेश
7	श्रीबा इंडस्ट्रीज	पी	पीसीआईएल पावर एंड होल्डिंग्स लिमिटेड	30	आंध्र प्रदेश
8	आरवीके एनर्जी	पी	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
9	सिल्क रोड सुगर	पी	सिल्क रोड सुगर	35	आंध्र प्रदेश
10	एलवीएस पावर	पी	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश
11	जीएमआर वेमागिरी एक्सपें.	पी	जीएमआर एनर्जी	768	आंध्र प्रदेश
12	कोंडापल्ली एक्सपें. स्टे.-III	पी	लैंको पावर	742	आंध्र प्रदेश
13	समलकोट एक्सपें.	पी	रिलायंस इंफ्रा	2400	आंध्र प्रदेश
14	पंडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	पी	पंडुरंगा एनर्जी	116	आंध्र प्रदेश
15	प्रगति सीसीजीटी-III	एस	प्रगति पावर कारपोरेशन लि.	750	दिल्ली
16	रिठाला सीसीपीपी	पी	एनडीपीएल	108	दिल्ली
17	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लि.	112	गुजरात
18	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लि.	374	गुजरात
19	पीपावाव सीसीपीपी	एस	जीएसपीसी पीपावाव पावर कंपनी लि.	702	गुजरात
20	धुवरन सीसीपीपी	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लि.	376.3	गुजरात
21	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	एस	गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि.	351	गुजरात
22	वाटवा सीसीपीपी*	पी	टोरेंट पावर	100	गुजरात
23	एस्सार सीसीपीपी	पी	एस्सार पावर	300	गुजरात
24	उनोसुजैन सीसीपीपी	पी	टोरेंट पावर	382.5	गुजरात
25	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	पी	टोरेंट पावर	1200	गुजरात
26	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दभोल)	सी	एनटीपीसी	1967	महाराष्ट्र
27	पायोनीर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी	पी	पायोनीर गैस पावर लि.	388	महाराष्ट्र
28	आस्था द्वारा गैस इंजन	पी	आस्था पावर	35	तेलंगाना
29	काशीपुर स्रावंथी स्टे.-I व II	पी	स्रावंथी एनर्जी	450	उत्तराखंड
30	बेटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	पी	बेटा इंफ्राटेक	225	उत्तराखंड
31	गामा इंफ्राप्रोप सीसीजीटी	पी	गामा इंफ्राप्रोप	225	उत्तराखंड
	कुल			**14305**	

सी: केंद्रीय क्षेत्र; एस: राज्य क्षेत्र; पी: निजी क्षेत्र;

* वाटवा सीसीपीपी 2015-16 में बंद हो गई।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-729

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

कोयले का औसत उपयोग

729. श्री एम. चन्द्राकाशीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आज की तारीख के अनुसार कुल कितने कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हैं और उनके प्रचालन के लिए प्रतिदिन कोयले का उपयोग/आवश्यकता कितनी है;

(ख) वर्तमान में प्रचालन दिवसों की संख्या के लिए कोयला उपलब्धता के संबंध में इन संयंत्रों की औसत कोयला भंडारण उपलब्धता कितनी रही; और

(ग) इन विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला और कोयला भंडारण उपलब्धता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दिनांक 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार, देश में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की कुल संख्या 175 है। वर्ष 2018-19 के लिए उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर इन विद्युत संयंत्रों की दैनिक औसत कोयला आवश्यकता 1.79 मिलियन टन (एमटी)/दिन है। अप्रैल-दिसंबर, 2018 के दौरान इन विद्युत संयंत्रों द्वारा औसत खपत 1.72 एमटी/दिन थी।

(ख) : 31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, इन विद्युत संयंत्रों के पास उपलब्ध कोयले का कुल स्टॉक 21.66 एमटी था। 1.72 एमटी/दिन की उनकी औसत खपत के आधार पर दिनों की संख्या की दृष्टि से कोयले के औसत स्टॉक की उपलब्धता लगभग 13 दिन है।

(ग) : ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले और कोयले के स्टॉक की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) कोयले की कमी के कारण विद्युत संयंत्रों का उत्पादन प्रभावित न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कोयले की उपलब्धता की गहनता से नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

(ii) घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार करने के लिए केंद्रीय/राज्य विद्युत यूटिलिटियों को कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं।

(iii) विद्युत संयंत्रों, जिनके पास कोई लिंकेज नहीं है, को कोयला लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक योजना शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेन्टली इन इंडिया), 2017 शुरू की है।

(iv) विद्युत उत्पादन की लागत घटाने के लिए सरकार ने विद्युत उत्पादन स्टेशनों में घरेलू कोयले के उपयोग में छूट शुरू की है। राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों को अपने विद्युत संयंत्रों में इष्टतम और लागत प्रभावी तरीके से अपने कोयले का उपयोग करने तथा सस्ती विद्युत के उत्पादन के लिए राज्य/केंद्रीय/आईपीपी के अन्य विद्युत संयंत्रों को कोयला हस्तांतरित करने में छूट होगी। यह दक्ष संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

****

भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-770

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

मांग और आपूर्ति

770. श्री राजेशभाई चुड़ासमाः

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बिजली के उत्पादन और मांग की आपूर्ति की स्थिति और वर्तमान में देश में कुल बिजली उत्पादन में विभिन्न स्रोतों और उनकी क्षमता की स्थिति क्या है; और

(ख) अगले दस वर्षों में किन-किन स्रोतों से कार्बन-मुक्त बिजली उत्पादित की जाएगी और इन स्रोतों के लिए कितना बिजली उत्पादन निर्धारित किया गया है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्‌युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में चालू वर्ष 2018-19 (दिसम्बर, 2018 तक) के दौरान देश में स्रोत-वार विद्‌युत उत्पादन तथा कुल उत्पादन में उनकी क्षमता में तथा देश में विद्‌युत की मांग और आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) : जल विद्‌युत, नाभिकीय और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन तथा बायोमास) ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जो आगामी दस वर्षों में कार्बनमुक्त विद्‌युत का उत्पादन करेंगे।

विद्‌युत का उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्य है और कोई उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय संबंधी उत्पादक द्‌वारा मांग के अनुमान के आधार पर लिया जाता है। अत: आगामी दस वर्षों के लिए इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है तथापि, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा आधारित 175 गीगावाट का उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। अन्य

नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्‌वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

i. नवीकरणीय ऊर्जा आधारित 175 गीगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 100 गीगावाट सौर विद्‌युत होगी।

ii. प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सौर और पवन विद्‌युत के प्रापण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

iii. वर्ष 2018-19 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) घोषित करना।

iv. कोयला/लिग्नाइट आधारित नए ताप विद्‌युत संयंत्रों संबंधी नवीकरणीय उत्पादन दायित्व घोषित किया गया।

v. राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति अधिसूचित की गई।

vi. पवन विद्‌युत परियोजनाओं की रिपावरिंग के लिए नीति अधिसूचित की गई।

vii. फोटो वोल्टिक प्रणालियों/उपकरणों के विकास के लिए मानक अधिसूचित किए गए।

viii. दिसम्बर, 2019 तथा मार्च, 2019 तक चालू की जाने वाली क्रमश: सौर और पवन आधारित विद्‌युत परियोजनाओं की अंतर राज्य बिक्री के लिए अंतर राज्य पारेषण प्रणाली प्रभारों तथा हानियों के लिए छूट देने हेतु आदेश जारी किए गए।

****

<u>अनुबंध</u>

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 770 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

चालू वर्ष 2018-19 (दिसंबर, 2018 तक) के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन में स्रोत-वार उत्पादन और क्षमता

श्रेणी	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
थर्मल	2,23,027.34	8,05,433.52
न्यूक्लियर	6,780.00	28,457.54
हाइड्रो	45,399.22	1,16,041.57*
आरईएस	74,081.66	97,923.70
सकल जोड़	**3,49,288.22**	**10,47,856.33**

टिप्पणी: 25 मेगावाट और उससे अधिक के स्टेशनों से उत्पादन

** भूटान से आयात सहित*

अप्रैल-दिसंबर, 2018 के दौरान देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति*

ऊर्जा (मिलियन यूनिट)				व्यस्ततम (मेगावाट)			
ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
एमयू	एमयू	एमयू	%	मेगावाट	मेगावाट	मेगावाट	%
971,490	965,589	5,901	0.6	177,022	175,528	1,494	0.8

* अनंतिम

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-777

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

सीईए

777. श्रीमती संतोष अहलावतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की "स्थापना लागत" के बारे में मानदंड विकसित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार सीईए को मानदंड तैयार करने के लिए कहने जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्षमता वृद्धि के कारण, 2021-22 तक राज्य की आवश्यकता की तुलना में लगभग दोगुनी विद्युत उपलब्ध होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अधिशेष विद्युत से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(घ) क्या सरकार उपभोक्ताओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-से राज्य उपभोक्ताओं को राजसहायता की डीबीटी पर सहमत हो गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने डिस्कॉमों को अपने प्रचालनों की लागत और प्रशासनिक व्यय को सरल और कारगर बनाने के लिए डिस्कॉमों हेतु मानदंड बनाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से अनुरोध किया है।

(ग) : वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 225 गीगावाट की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी), 2018 के अनुसार नवीकरणीय सहित संभावित संस्थापित क्षमता 479 गीगावाट होगी।

सृजित क्षमता पर्याप्त और मांग को पूरा करने के लिए काफी होगी।

(घ) : कोई राज्य सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के उपबंध के अनुसार, जिस सीमा तक वह उचित समझे, उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को सब्सिडी दे सकती है। दिनांक 30 मई, 2018 को परामर्श हेतु पणधारकों को परिचालित टैरिफ नीति के प्रारूप संशोधन में सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सब्सिडी के प्रावधान शामिल हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-798

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

पन-बिजली परियोजनाएं

798. श्री पिनाकी मिश्राः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कुल 12 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली पन विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय बाध्यताओं और अन्य कारणों से 5950 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता वाली 16 पन विद्युत परियोजनाएं रुकी हुई हैं; और

(ग) क्या सरकार की निकट भविष्य में पन विद्युत नीति बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : दिनांक 31.01.2019 की स्थिति के अनुसार देश में 12178.50 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 37 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इन 37 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में से कुल 4850 मेगावाट की 14 जल विद्युत परियोजनाएं वित्तीय कठिनाइयों और अन्य कारणों की वजह से अवरुद्ध/रूकी हुई हैं।

(ग) : जल विद्युत क्षेत्र को व्यवहार्य बनाने के लिए उपायों संबंधी प्रस्तावों की इस मंत्रालय में जांच की जा रही है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 798 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

(31.01.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)
	आंध्र प्रदेश			
1	पोलावरम (एपजैंको/सिंचाई विभाग, ए.पी.)	राज्य	12x80	960.00
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश			**960.00**
	अरुणाचल प्रदेश			
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00
3	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00
4	### गोंगरी (दिरांग एनर्जी)	निजी	2x72	144.00
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश			**2744.00**
	हिमाचल प्रदेश			
5	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00
6	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00
7	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00
8	शोंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00
9	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00
10	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00
11	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00
12	टिडोंग-I (स्टारक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	100.00	100.00
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश			**1885.00**
	जम्मू व कश्मीर			
13	पकलदुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	4x250	1000.00
14	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	3x12.5	37.50
15	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	2x24	48.00
16	# रत्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00
	उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर			**1935.50**
	केरल			
17	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00
18	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00
	उप-जोड़: केरल			**100.00**
	मध्य प्रदेश			
19	## महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश			**400.00**
	महाराष्ट्र			
20	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	2x40	80.00
	उप-जोड़: महाराष्ट्र			**80.00**

	पंजाब			
21	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00
	उप-जोड़: पंजाब			**206.00**
	सिक्किम			
22	भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00
23	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00
24	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00
25	रोंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00
26	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको) ####	निजी	4x125	500.00
27	पनन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00
	उप-जोड़: सिक्किम			**1133.00**
	तमिलनाडु			
28	कुंडहा पम्प्ड स्टोरेज	राज्य	1x125	125.00
	उप-जोड़: तमिलनाडु			**125.00**
	उत्तराखंड			
29	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00
30	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00
31	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00
32	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00
33	नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	2x30	60.00
34	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	2x60	120.00
35	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	2x38	76.00
36	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	3x33	99.00
	उप-जोड़: उत्तराखंड			**2490.00**
	पश्चिम बंगाल			
37	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			**120.00**
	सकल जोड़:			**12178.50**

\# जेएंडके सरकार, पीडीडी ने दिनांक 09.02.2017 को पीपीए निरस्त कर दिया है और जेकेएसपीडीसी को परियोजना लेने के लिए निर्देश दिए हैं। जेकेएसपीडीसी ने एनएचपीसी के साथ परियोजना के निष्पादन के लिए एनचीपीसी और जेकेएसपीडीसी के जेवी के माध्यम से 03.02.2019 को एक करार हस्ताक्षरित किया है।

\## पीएफसी ने शीर्ष देनदार के रूप में 1 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में 51 प्रतिशत की मुख्य इक्विटी अधिग्रहित की है। मामला न्यायाधीन है।

\### राज्य सरकार ने परियोजना के निष्पादन के लिए विकासकर्ता के साथ समझौते को समाप्त कर दिया है।

\#### एनसीएलटी द्वारा बोली प्रक्रिया के दौरान एनएचपीसी लि. एच1 बोलीदाता के रूप में उभरा है। पीआईबी नोट को परिचालित किया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-799

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

पराली से बिजली उत्पादन

799. श्री अजय मिश्रा टेनीः
श्री भरत सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रदूषण स्तर पर अंकुश लगाने हेतु किसानों द्वारा प्रतिवर्ष पराली (गेंहू और चावल के पौधों का अपशिष्ट) जलाने से प्रदूषण स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का पराली से बिजली उत्पादन आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/स्थान/संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : एनटीपीसी उत्तर प्रदेश में अपने कोयला आधारित दादरी स्टेशन में जैव ईंधन सह-दहन पहले ही शुरू कर चुका है।

एनटीपीसी ने जैव ईंधन सह-दहन के जरिए विद्युत उत्पादन हेतु अपने विद्युत स्टेशनों के लिए पराली (गेहूं और चावल के पौधों का अपशिष्ट) तथा अन्य कृषि अपशिष्ट आधारित पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों की आपूर्ति के लिए 26.12.2018 को इच्छा की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है। झज्जर में अपने संयुक्त उद्यम सहित एनटीपीसी के कोयला आधारित 21 विद्युत स्टेशनों के लिए ईओआई आमंत्रित की गई है। ईओआई के प्रत्युत्तर के आधार पर एनटीपीसी के संबंधित विद्युत स्टेशनों हेतु पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के लिए निविदा जारी की जाएगी। ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 25.02.2019 है।

एनटीपीसी की कृषि अपशिष्टों से बनी पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों से अपने विद्युत स्टेशनों में कोयले दहन को 5-10% प्रतिस्थापित करने की योजना है। विद्युत स्टेशनों की सूची और दैनिक पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों की मांग **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 799 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्रम सं.	कोयला आधारित स्टेशन	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	पैलेट्स/टोरिफाइड पैलेट्स आवश्यकता (मीट्रिक टन प्रति दिन)
1	सिंगरौली	उत्तर प्रदेश	2000	1000
2	कोरबा	छत्तीसगढ़	2600	1300
3	रामागुंडम	तेलंगाना	2600	1300
4	फरक्का	पश्चिम बंगाल	2100	1060
5	विंध्याचल	मध्य प्रदेश	4760	1880
6	रिहंद	उत्तर प्रदेश	3000	1500
7	कहलगांव	बिहार	2340	1180
8	दादरी	उत्तर प्रदेश	1820	920
9	झज्जर (जेवी)	हरयाणा	1500	760
10	तलचर कनिहा	ओडिशा	3000	1000
11	ऊंचाहार	उत्तर प्रदेश	1550	560
12	तालचर थर्मल	ओडिशा	460	240
13	सिम्हाद्री	आंध्र प्रदेश	2000	1000
14	टांडा	उत्तर प्रदेश	440	220
15	सीपत	छत्तीसगढ़	2980	1500
16	मौदा	महाराष्ट्र	2320	1160
17	बोंगईगांव	असम	500	260
18	बाढ़	बिहार	1320	660
19	कुडगी	कर्नाटक	2400	1200
20	सोलापुर	महाराष्ट्र	660	340
21	लारा	छत्तीसगढ़	800	400
		कुल	**41,150**	**19440**

प्रति दिन आवश्यकता अनुमान 65 प्रतिशत संयंत्र भार घटक पर आधारित एवं संकेतात्मक है। तथापि, दी गई उपर्युक्त प्रति दिन आवश्यकता वास्तविक संयंत्र भार घटक एवं एनटीपीसी की आवश्यकता पर परिवर्तित हो सकती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-805

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

'सौभाग्य' योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण

805. श्री राम कुमार शर्माः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी गांवों को बिजली से जोड़ने के लिए पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री-सहज-बिजली-हर-घर-योजना (सौभाग्य) शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त योजना के तहत दिसंबर, 2018 के लिए गांवों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो प्राप्त किये गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या गांवों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए गांव के विद्युतीकरण के लिए बनाई गई परिभाषा यह है कि पूरे गांव के 10 प्रतिशत घरों को विद्युत प्रदान किए जाने के बाद विद्युतीकृत माना जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों के लिए विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 11 अक्तूबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की है। 11.10.2017 के पश्चात् देश में 2.48 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

(ख) और (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में सभी आवासित जनगणना गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं।

(घ) : प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य में 31 मार्च, 2019 तक देश में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण की परिकल्पना की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-835

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र हेतु योजनाएं

835. श्री विद्युत वरण महतोः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री पी. पी. चौहानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से आज की तिथि तक आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आबंटित और उपयोग की गई निधि का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : सरकार द्वारा वर्ष 2014 से शुरू की गई मुख्य योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** : भारत सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की है जिसमें कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्द्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग तथा संपूर्ण देश में गांवों का विद्युतीकरण शामिल है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 42676.67 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सौभाग्य योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे घरों के विद्युतीकरण कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के

लिए अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन हेतु 11996 करोड़ रुपये की राशि भी संस्वीकृत की गई है। देश में सभी आवासित जनगणना गांव 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

इस योजना के तहत विगत 4 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत आवंटित/संवितरित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ii) **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य** : भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को अंतिम छोर की कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 16320 करोड़ रुपये के परिव्यय से अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 13785 करोड़ रुपये की परियोजना संस्वीकृत की गई है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अक्तूबर, 2017 में सौभाग्य योजना शुरू होने के पश्चात् 28.01.2019 तक 2.48 करोड़ घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

विगत 4 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत आवंटित/संवितरित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(iii) **एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)** : भारत सरकार द्वारा 32612 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय तथा 25354 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 20.11.2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) अनुमोदित की गई थी। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापरक एवं विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराना है।

15.01.2019 की स्थिति के अनुसार निगरानी समिति द्वारा 32 राज्यों में 546 सर्किलों के लिए 31962 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं (प्रणाली सुदृढ़ीकरण-28235 करोड़ रुपये, आईटी चरण-II-985 करोड़ रुपये, स्मार्ट मीटरिंग-834 करोड़ रुपये, ईआरपी-747 करोड़ रुपये, आरटी-डीएएस-183 करोड़ रुपये, जीआईएस एस/एस-978 करोड़ रुपये) संस्वीकृत की गई है। यूटिलिटियों द्वारा कार्यों की 52.7% प्रगति की सूचना दी गई है। आईपीडीएस योजना के लिए अंतिम समापन अवधि, जिसमें पुरानी समाहित परियोजनाएं शामिल हैं, मार्च, 2022 है।

विगत 4 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत आवंटित/संवितरित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(iv) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) : भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय तथा प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (डिस्कॉम) शुरू की थी। योजना के उद्देश्य ब्याज के बोझ को कम करना, विद्युत की लागत में कमी करना, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानियों को कम करना तथा डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करना है। उदय योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं हैं।

(v) विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) : भारत सरकार ने 10.01.2014 को विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के प्रचालनीकरण के लिए योजना अनुमोदित की है। येाजना का प्रचालन विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से निधि के संवितरण के लिए दिशा-निर्देश/प्रक्रिया जारी करने के बाद 18 सितंबर, 2014 को शुरू हुआ था। योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विद्युत यूटिलिटियों को निधियां अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं।

31.01.2019 की स्थिति के अनुसार विद्युत मंत्रालय ने **अनुबंध-IV** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विद्युत यूटिलिटियों को पीएसडीएफ के अंतर्गत 10864 करोड़ रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया है।

(vi) **पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) :** इस परियोजना के कार्यान्वयन से (भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा 50:50 के अनुपात आधार पर वित्त पोषण से केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में) पूर्वोत्तर के 6 राज्यों (असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा) के अंतरा-राज्यीय पारेषण एवं वितरण अवसंरचना सुदृढ़ होगी; भावी भार केंद्रों के लिए इसकी कनेक्टिविटी में सुधार होगा जिससे सभी उपभोक्ताओं को ग्रिड से जुड़ी विद्युत के लाभ प्राप्त हो सकेंगे। इस परियोजना से राज्यों के ऐसे गांवों और नगरों को अपेक्षित ग्रिड कनेक्टिविटी भी प्राप्त होगी जहां डाउनस्ट्रीम स्तर पर वितरण प्रणाली का विकास भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आरजीजीवीवाई/एपीडीआरपी/आर-एपीडीआरपी योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। एनईआरपीएसआईपी के अंतर्गत 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी तथा 220 केवी वोल्टेज स्तरों पर कई पारेषण एवं वितरण लाइनें तथा सब-स्टेशन शामिल हैं।

एनईआरपीएसआईपी के अंतर्गत पारेषण/उप-पारेषण तथा वितरण में तैयार की जाने वाली राज्य-वार अवसंरचना नीचे तालिका में दी गई है:

	पारेषण/उप-पारेषण (132 केवी और उससे अधिक)			**वितरण (33 केवी से कम नहीं)**		
राज्य का नाम	**लाइन (किमी)**	**नए एस/एस (सं.)**	**कुल एमवीए (नए और संवर्द्धन)**	**लाइन (किमी)**	**नए एस/एस (सं.)**	**कुल एमवीए (नए और संवर्द्धन)**
असम	235	11	1668	479	16	240
मणिपुर	254	2	112.5	131	13	274.85
मेघालय	225	4	940	263	11	150
मिजोरम	144	3	108.32	5	1	6.3
नागालैंड	285	5	245	76.5	10	190
त्रिपुरा	261	9	1307	1077	34	450.5
कुल	**1404**	**34**	**4380.82**	**2031.50**	**85**	**1311.65**

इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा इनके नवंबर, 2020 तक प्रगामी रूप से पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

उपयोग की गई निधि का ब्यौरा (दिसंबर, 2018 तक)

क्र.सं.	**विवरण**	कुल (करोड़ रुपये में)
1	संवितरित राशि	रु.1040.17
2	उपयोग की गई राशि	रु.967.44

(vii) **अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक योजना :** अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में टीएंडडी कार्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक योजना तैयार की गई थी जिसमें 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी तथा 220 केवी वोल्टेज स्तर पर विभिन्न लाइनें तथा सब-स्टेशन शामिल हैं। टीएंडडी योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सरकार के अनुमोदन की तिथि : अक्तूबर, 2014
कार्यान्वयन एजेंसी : पीजीसीआईएल (डिजाइन सह कार्यान्वयन पर्यवेक्षण परामर्शदाता)
संस्वीकृत लागत : 2754.42 करोड़ (अप्रैल, 2013 में मूल्य स्तर)
पूरा होने का समय : पहली किस्त जारी होने की तिथि से 48 माह

अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में व्यापक योजना के अंतर्गत उपयोग की गई निधि का ब्यौरा (नवंबर, 2018 तक)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**आवंटित निधि**	**प्राप्त हुई राशि**	**व्यय की गई राशि**
1	अरुणाचल प्रदेश	3199.45	610.64	514.61
2	सिक्किम	1554.97	483.61	447.34
	कुल	**4754.42**	**1094.25**	**961.95**

(viii) **नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) :** भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की नवीकरणीय विद्युत क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट एवं पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट योगदान तथा शेष अन्य उत्पादनों से होगी। नवीकरणीय विद्युत की निगरानी एवं नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण केंद्र पर उचित दृश्यता तथा स्थितिपरक जागरूकता अपेक्षित है। पूर्वानुमान लगाने, आरई उत्पादन की समय अनुसूची तथा रीयल टाइम ट्रैकिंग (आरईटी) तथा संबंधित भार प्रेषण केंद्रों के साथ गहन समन्वय, आरईएमसी की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। पूर्वानुमान प्रणाली से विद्युत प्रणाली सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड प्रचालन के बेहतर प्रबंधन में प्रणाली प्रचालकों को सुविधा होगी। योजना के अंतर्गत **अनुबंध-**V में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 11 स्थानों के लिए आरईएमसी नियंत्रण केंद्र संस्वीकृत किए गए हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न 835 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवंसरचना सहित) के तहत संवितरित अनुदान का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	20	31	128	165	161
2	अरुणाचल प्रदेश	60	31	101	81	7
3	असम	115	338	598	401	722
4	बिहार	1,490	710	1,292	763	1,568
5	छत्तीसगढ़	94	279	126	552	79
6	गुजरात	12	58	110	143	166
7	हरियाणा	(14)	-	-	45	22
8	हिमाचल प्रदेश	-	28	-	-	15
9	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	65	340
10	झारखंड	9	-	327	862	930
11	कर्नाटक	26	44	145	204	296
12	केरल	15	-	134	87	57
13	मध्य प्रदेश	359	439	421	598	620
14	महाराष्ट्र	-	43	257	143	270
15	मणिपुर	88	7	36	33	25
16	मेघालय	-	-	26	58	49
17	मिजोरम	-	19	14	42	27
18	नागालैंड	-	48	21	24	33
19	ओडिशा	16	514	1,079	366	884
20	पंजाब	-	-	-	15	42
21	राजस्थान	-	253	47	782	615
22	सिक्किम	-	-	-	18	8
23	तमिलनाडु	-	77	110	2	151
24	तेलंगाना	3	5	27	60	61
25	त्रिपुरा	48	49	78	62	22
26	उत्तर प्रदेश	1,121	1,249	2,262	3,149	3,026
27	उत्तराखंड	1	71	16	33	159
28	पश्चिम बंगाल	145	305	273	241	869
29	गोवा	-	-	-	-	4
30	दादरा व नागर हवेली	-	-	-	-	1
31	पुडुचेरी	-	-	1	-	-
32	अंडमान निकोबार	-	-	-	1	-
	कुल जोड़	**3,609**	**4,599**	**7,930**	**8,995**	**11,228**

* ऋणात्मक आंकड़े अंतिम परियोजना निष्पादन लागत में कमी के कारण अतिरिक्त निधियों की वापसी से संबंधित हैं।

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न 835 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

स्कीम की शुरूआत अर्थात 11.10.2017 से सौभाग्य के तहत संवितरित अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	**राज्य**	**2017-18**	**2018-19 (31.01.2019 तक)**	**कुल जारी**
1	अरुणाचल प्रदेश	-	182	182
2	असम	42	389	431
3	बिहार	115	-	115
4	छत्तीसगढ़	43	190	233
5	हिमाचल प्रदेश	-	1	1
6	जम्मू और कश्मीर	2	51	3
7	झारखंड	70	77	146
8	केरल	15	-	15
9	मध्य प्रदेश	260	147	407
10	महाराष्ट्र	15	93	109
11	मणिपुर	6	14	20
12	मेघालय	-	64	64
13	मिजोरम	-	29	29
14	नागालैंड	5	29	34
15	ओडिशा	76	129	205
16	राजस्थान	-	103	103
17	त्रिपुरा	-	156	156
18	उत्तर प्रदेश	864	506	1,370
19	उत्तराखंड	13	7	20
20	पश्चिम बंगाल	14	33	47
	कुल	**1,541**	**2,200**	**3,741**

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न 835 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आईपीडीएस के तहत संस्वीकृति-संवितरण स्थिति													
राज्य	यूटिलिटी	स्वीकृत 2014-15	स्वीकृत 2015-16	स्वीकृत 2016-17	स्वीकृत 2017-18	स्वीकृत 18-19	स्वीकृत राशि संचयी	वितरित 14-15	वितरित 15-16	वितरित 16-17	वितरित 17-18	वितरित 18-19	वितरित राशि संचयी
हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	0	79	0	17	13	109	0	0	5	7	2	13
	डीएचबीवीएनएल	0	0	311	21	6	338	0	0	19	6	28	53
	कुल	0	79	311	37	19	447	0	0	24	13	30	66
हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	0	111	0	39	40	190	0	0	9	2	21	33
जम्मू और कश्मीर	जेएंडके पीडीडी	0	447	0	21	54	521	0	0	3	35	0	38
पंजाब	पीएसपीसीएल	0	326	0	113	26	465	0	0	20	29	20	69
चंडीगढ़	ईडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	एवीवीएनएल	0	410	0	38	45	493	0	0	25	45	0	70
	जेएवीवीएनएल	0	497	0	91	30	675	0	0	54	33	0	87
	जेओवीवीएनएल	0	403	0	63	28	513	0	0	51	21	0	72
	कुल	0	1310	0	192	103	1681	0	0	130	99	0	229
उत्तर प्रदेश	एमवीवीएनएल	0	724	0	86	15	824	0	0	92	34	212	338
	पूर्व वीवीएनएल	607	672	0	210	36	1527	20	39	145	138	305	648
	पश्चिम वीवीएनएल	460	1026	0	196	15	1698	5	23	216	316	174	733
	डीवीवीएनएल	0	769	0	78	10	858	0	0	116	125	142	383
	केईएससीओ	0	463	0	28	4	496	0	0	62	22	167	251
	कुल	1068	3654	0	599	81	5402	25	62	631	635	1001	2353
उत्तराखंड	यूपीसीएल	0	192	12	40	481	725	0	0	16	33	87	136
दिल्ली	एनडीएमसी			198	0	0	198			0	0	33	33
दिल्ली	कुल		0	198	0	0	198	0	0	0	0	33	33
मध्य प्रदेश	एमपीपीकेवीवीसीएल(ई)	0	498	0	90	32	619	0	0	37	53	9	98
	एमपीएमकेवीवीसीएल(सी)	0	485	0	30	14	522	0	0	29	19	38	86
	एमपीपीकेवीवीसीएल(डब्ल्यू)	73	453	0	15	114	649	1	3	35	0	48	87
	कुल	73	1436	0	135	159	1790	1	3	101	71	95	272
गुजरात	पीजीवीसीएल	0	462	8	18	0	488	0	0	83	0	115	198
	डीजीवीसीएल	0	188	3	7	0	197	0	0	34	0	0	34
	एमजीवीसीएल	375	0	3	20	0	398	5	18	45	130	5	203
	यूजीवीसीएल	0	103	7	141	0	251	0	6	12	0	0	19
	कुल	375	753	22	185	0	1334	5	24	175	130	120	453
छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	0	492	66	53	45	656	0	30	0	40	1	71
महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	0	2312	0	136	80	2529	0	0	191	160	63	414
	बीईएसटी	0		105	0	0	105	0	0	6	0	13	19
	कुल	0	2312	105	136	80	2553	0	0	197	160	76	433
गोवा	गोवा ईडी	0	0	0	32	52	84	0	0	0	2	0	2
आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल	209	143	17	34	68	472	3	10	44	120	7	184
	एपीईपीडीसीएल	224	78	4	101	62	469	0	18	23	113	11	165
	कुल	433	221	21	136	131	941	3	28	67	232	18	349
तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	0	201	6	43	4	255	0	0	12	19	77	108
	टीएसएसपीडीसीएल	0	452	18	38	6	514	0	0	27	51	146	225
	कुल	0	654	24	81	10	769	0	0	39	70	223	333
कर्नाटक	बेसकॉम	0	459	0	85	0	545	0	0	28	54	130	212
	सीईएससी	0	171	0	19	67	257	0	0	10	19	29	58
	गेसकॉम	0	184	0	6	0	191	0	0	11	18	4	33
	हेसकॉम	0	171	0	45	92	309	0	0	10	19	56	86
	मेसकॉम	0	159	0	15	40	213	0	0	10	19	57	86
कर्नाटक	कुल	0	1144	0	171	199	1514	0	0	69	130	276	475
केरल	केएसईबी	0	0	618	108	5	731	0	0	107	0	0	107
	सीपीटी			5	0	0	5			0	0	0	1
	कुल		0	623	108	5	736	0	0	108	0	0	108
तमिलनाडु	टेनजैडको	0	1569	0	135	150	1854	0	0	29	250	0	279
पुडुचेरी	पीडी	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0	4	4
अंड. एवं निको. द्वीप				18	0	0	18				1	0	1
बिहार	एनबीपीडीसीएल	172	891	0	22	364	1449	2	8	160	0	7	177
	एसबीपीडीसीएल	74	974	0	46	618	1712	0	4	161	20	0	185
	कुल	246	1865	0	68	982	3161	2	13	321	20	7	363
झारखंड	जेएसईबी	0	0	735	54	0	790	0	0	44	89	160	292
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	1075	1530	276	32	88	3000	14	51	109	316	19	508
	डीपीएल	0	59	0	0	0	59	0	0	4	3	4	10
	कुल	1075	1589	276	32	88	3059	14	51	112	319	23	519
ओडिशा	साउथको	0	260	0	25	3	288	0	0	42	0	39	81
	वेसको	0	261	0	24	4	289	0	0	44	0	89	133
	नेसको		0	328	21	3	351	0	0	57	0	1	58
	सेसू	0	0	234	72	3	310	0	0	40	0	80	120
	कुल	0	521	562	142	12	1238	0	0	183	0	210	392
असम	एपीडीसीएल	0	585	0	74	83	742	0	50	0	103	0	153
अरुणाचल प्रदेश	पीडी	0	151	0	0	8	159	0	0	13	0	0	13
नागालैंड	पीडी	0	0	44	0	94	138	0	0	4	7	8	19
मणिपुर	पीडी	0	130	0	4	23	157	0	11	21	0	0	32
मेघालय	एमईईसीएल	0	62	0	0	46	108	0	0	5	0	9	15
मिजोरम	पीडी	0	49	0	4	58	111	0	0	12	0	3	15
सिक्किम	पीडी	0	0	0	15	146	161	0	0	0	1	9	10
त्रिपुरा	पीडी	0	74	0	31	116	141	0	6	0	8	3	17

****

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न 835 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पीएसडीएफ के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विद्युत यूटिलिटियों को संस्वीकृत/संवितरित निधियों का ब्यौरा			
वर्ष 2014-15 :			
राज्य/यूटिलिटी	**अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)**	**संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रु.)**	**संवितरित निधियां (करोड़ रु.)**
पावर ग्रिड	374.63	262.24	173.99
केरल	91.46	82.31	46.82
राजस्थान	183.4	165.06	34.18
पश्चिम बंगाल	120.67	108.6	37.74
वर्ष 2015-16 :			
राज्य/यूटिलिटी	**अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)**	**संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रु.)**	**संवितरित निधियां (करोड़ रु.)**
असम	352.89	352.89	106.96
बिहार	71.35	64.22	56.04
नागालैंड	39.96	39.96	32.9
गुजरात	6.99	6.82	1.7
कर्नाटक	86.97	78.27	44.9684
ओडिशा	180.56	162.50	38.09
उत्तर प्रदेश	322.23	278.01	119.24
पुडुचेरी	10.56	9.5	0.95
मेघालय	101.72	101.72	59.95
तमिलनाडु	138.28	124.45	23.09
मिजोरम	26.84	26.84	8
एनआरपीसी	6.45	6.45	4.486
जम्मू और कश्मीर	286.16	286.16	26.411
तेलंगाना	59.97	53.97	12.29
हिमाचल प्रदेश	55.44	55.44	34.4400
त्रिपुरा	31.05	31.05	26.10
पावर ग्रिड	700.31	630.28	316.38
दिल्ली	125.98	113.38	20.75
ईआरपीसी	20.00	20.00	14.8342
मध्य प्रदेश	107.00	96.30	55.37
पंजाब	18.21	16.39	0
उत्तराखंड	125.05	125.05	101.75
वर्ष 2016-17 :			
राज्य/यूटिलिटी	**अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)**	**संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रु.)**	**संवितरित निधियां (करोड़ रु.)**
मध्य प्रदेश	58.55	52.70	9.57
आंध्र प्रदेश	169.69	152.72	29.55
छत्तीसगढ़	68.52	61.67	0.00
अरुणाचल प्रदेश	18.21	18.21	0.00
तेलंगाना	53.63	48.27	36.99
मणिपुर	33.50	33.50	3.35
पश्चिम बंगाल	26.09	23.48	2.35
हरियाणा	364.27	273.20	28.35
बिहार	75.67	68.10	0.00
पंजाब	15.30	13.78	3.01

एसआरपीसी	30.59	30.59	19.84
केरल	5.30	4.77	0.48
डीवीसी	28.85	25.96	2.60
तमिलनाडु	13.31	11.98	1.20
गुजरात	32.37	29.13	2.91
पीजीसीआईएल	5778.00	2889.00	0.00
पीजीसीआईएल/आरईसीटीपीसीएल	233.03	233.03	21.78
वर्ष 2017-18 :			
राज्य/यूटिलिटी	**अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)**	**संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रु.)**	**संवितरित निधियां (करोड़ रु.)**
केरल	630.1	494.72	118.87
डीवीसी	156.11	140.5	14.05
पश्चिम बंगाल	143.24	114.89	28.89
तमिलनाडु	497.05	322.96	16.75
तेलंगाना	245.74	145.49	0.65
एनईआरपीसी	6.50	6.50	3.44
महाराष्ट्र	233.89	188.19	19.13
छत्तीसगढ़	5.03	4.53	0.00
उत्तर प्रदेश	63.31	47.48	4.74
राजस्थान	768.14	389.35	58.16
गुजरात	631	364.75	25.4
मणिपुर	13.37	13.37	1.34
	8.15	4.08	0.41
ओडिशा	24.83	22.35	2.24
	51.22	25.61	0.00
मध्य प्रदेश	7.45	6.71	0.67
आंध्र प्रदेश	284.96	142.48	0.00
पीजीसीआईएल	472.55	378.04	37.8000
बीबीएमबी	25.86	23.27	2.33
झारखंड	153.48	138.13	0.00
उत्तराखंड	37.46	18.73	0.00
वर्ष 2018-19 :			
राज्य/यूटिलिटी	**अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)**	**संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रु.)**	**संवितरित निधियां (करोड़ रु.)**
ईआरपीसी	6.07	6.07	0
छत्तीसगढ़	145.91	42.96	0.00
पश्चिम बंगाल	50.18	45.16	0.00
कर्नाटक	253.57	126.79	0.00
आंध्र प्रदेश	21.48	19.33	0.00
पंजाब	66.1	33.05	0.00
हिमाचल प्रदेश	43.02	33.7	0
मध्य प्रदेश	428.31	219.96	0
ओडिशा	30.26	27.23	0.00
पुडुचेरी	7.37	3.69	0.00
एनईआरपीसी	18	18.00	0.00
एनआरपीसी	28	28.00	0.00
कुल जोड़		**10864.02**	**1894.25**

ईआरपीसी = पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति

एनआरपीसी = उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति

एसआरपीसी = दक्षिणी विद्युत समिति

एनईआरपीसी = पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति

****

अनुबंध-V

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न 835 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आरईएमसी केंद्रों का ब्यौरा

क्रम सं.	आरईएमसी का स्थान	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
1	तमिलनाडु	45.4
2	आंध्र प्रदेश	36.5
3	कर्नाटक	41
4	एसआरएलडीसी	30.5
5	गुजरात	44
6	मध्य प्रदेश	35.8
7	महाराष्ट्र	39.5
8	डब्ल्यूआरएलडीसी	35
9	राजस्थान	38.7
10	एनआरएलडीसी	35
11	एनएलडीसी	27.6
	कुल	**409**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-857
जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

ईंधन तापीय की कमी

857. श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख में देश में कुल ताप विद्युत उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई ताप विद्युत संयंत्रों को गत वर्ष से पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता का कोयला प्राप्त नहीं हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विद्युत संयंत्रों की समस्याओं का निपटान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में विद्युत उत्पादन करने वाले बड़े राज्यों को प्रोत्साहन और अन्य लाभ देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : चालू वर्ष 2018-19 (दिसंबर, 2018 तक) के दौरान 25 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता के विद्युत संयंत्रों से देश में कुल ताप विद्युत उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति विद्युत उत्पादक और कोयला कंपनियों के बीच ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) के अनुसार की जाती है। विगत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विद्युत संयंत्रों में कोयले की प्राप्ति का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। विद्युत संयंत्रों में कोयले की इस प्राप्ति से विद्युत ग्रिड में विद्युत की मांग पूरी की गई है।

विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेलवे के सम्मिलित प्रयासों से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में निगरानी किए जा रहे विद्युत संयंत्रों के पास उपलब्ध कोयले का दैनिक आधार पर स्टॉक 03.02.2019 की

स्थिति के अनुसार बढ़कर 20.77 एमटी हो गया है जो विगत वर्ष के इसी दिन 9 दिनों के लिए 14.6 एमटी की तुलना में उत्पादन के 13 दिनों के लिए पर्याप्त है।

(ग) और (घ) : कोयले की गुणवत्ता के मुद्दे का समाधान करने के लिए विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत यूटिलिटियां लदाई और उतराई के स्थानों पर कोयले के तृतीय पक्ष नमूना और विश्लेषण हेतु सैंपल लेने वाला तीसरा पक्ष अर्थात् सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सीआईएमएफआर) नियुक्त करेंगी। कोयले के घोषित ग्रेड और कोयले के विश्लेषित ग्रेड के बीच भिन्नता होने की स्थिति में सीआईएमएफआर द्वारा प्रस्तुत तीसरा पक्ष नमूना विश्लेषण परिणामों के आधार पर कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत संयंत्रों को क्रेडिट/डेबिट नोट जारी किए जाते हैं।

एक अंतर-मंत्रालय उप-समूह, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय, सीईए, सीआईएल तथा एससीसीएल के प्रतिनिधि शामिल हैं, कोयले की आपूर्ति स्थिति की नियमित आधार पर निगरानी करता है। बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर सीआईएल/एससीसीएल कोयले की आपूर्ति बढ़ाता है तथा रेलवे कम स्टॉक वाले विद्युत संयंत्रों को रैकों की आपूर्ति में प्राथमिकता देता है।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

(i) पूर्ववर्ती प्राधिकार पत्र (एलओए) को बंद करना-ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) तंत्र तथा नई शक्ति पॉलिसी-2017 शुरू करना।
(ii) उन आवंटितियों, जिनकी खानें विकासाधीन हैं, के लिए ब्रिज लिंकेज का प्रावधान।
(iii) संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मुद्दों का समाधान करने के लिए उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 857 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

चालू वर्ष 2018-19 (दिसंबर, 2018 तक) के दौरान राज्य-वार ताप विद्युत उत्पादन

राज्य	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
अंडमान निकोबार	99.98
आंध्र प्रदेश	46292.41
असम	4053.81
बिहार	23730.92
छत्तीसगढ	88426.9
दिल्ली	6155.66
डीवीसी	26490.02
गुजरात	69052.52
हरियाणा	19520.77
झारखंड	10254.36
कर्नाटक	21437.68
केरल	1.23
मध्य प्रदेश	88157.25
महाराष्ट्र	91981.11
ओडिशा	29624.07
पुडुचेरी	181.45
पंजाब	20932.74
राजस्थान	35635.77
तमिलनाडु	52398.65
तेलंगाना	35319.44
त्रिपुरा	4873.95
उत्तर प्रदेश	91546.28
उत्तराखंड	880.81
पश्चिम बंगाल	38385.74
कुल	**805433.52**

टिप्पणी:

1. केवल 25 मेगावाट एवं उससे अधिक के ताप विद्युत स्टेशनों से सकल उत्पादन।

2. ऊपर दिए गए आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं।

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 857 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विद्युत संयंत्रों में कोयला प्राप्ति (एमटी)

क्रम सं.		**2017-18**	**2018-19 (दिसंबर तक)**
1.	सीआईएल	416.0	337.2
2.	एससीसीएल	52.1	40.9
3.	कैप्टिव	31.6	29.3
4.	ई नीलामी	39.0	22.0
5.	**कुल घरेलू प्राप्ति [1 से 4]**	**538.6**	**429.3**
6.	आयातित (ब्लेंडिंग)	17.0	15.3
7.	आयातित (आयातित कोयला संयंत्र)	39.4	29.4
8.	**कुल आयातित प्राप्ति [6+7]**	**56.4**	**44.6**
9.	**कुल कोयला प्राप्ति [5+8]**	**595.0**	**473.9**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-871
जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत उपकरण

871. श्री कोनाकल्ला नारायण रावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार स्वदेशी ताप विद्युत तथा पन विद्युत उत्पादकों को स्थानीय बाजारों से विद्युत उपकरण खरीदना अनिवार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिशानिर्देश जारी करते समय यह सुनिश्चित किया है कि विद्युत उत्पादक जो उपकरण खरीदें वह स्थानीय बाजारों में उपलब्ध हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गऐ हैं कि ये उपकरण स्थानीय बाजार में उपलब्ध हों?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने दिनांक 15 जून, 2017 तथा 28 मई, 2018 के तहत "मेक इन इंडिया" को प्रोत्साहित करने तथा भारत में सेवाओं और वस्तुओं के विनिर्माण और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया के लिए) आदेश, 2017 जारी किया है। उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय ने खरीद तरजीह (स्थानीय सामग्री से संबद्ध) के लिए व्यवस्था करने हेतु जल विद्युत और ताप विद्युत क्षेत्रों के संबंध में क्रमशः 20 दिसंबर, 2018 तथा 27 दिसंबर, 2018 को आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, सार्वजनिक अधिप्राप्ति करने वाले निकायों द्वारा ताप और जल विद्युत क्षेत्र में प्रयोग होने वाले घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों को तरजीह दी जाएगी। ये आदेश आगामी पांच वर्षों के लिए विद्युत उपस्करों की स्वदेशी रूप से उपलब्धता, चालू आयात सामग्री तथा स्थानीय सामग्री के लक्ष्य जिसमें इसके लिए विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आंकन शामिल है, के दृष्टिकोण को ध्यान में रखने के पश्चात जारी किए गए हैं।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-887
जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

एम ओ एस के साथ बैठक

887. श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों के विद्युत मंत्रियों के साथ बैठक की है; और

(ख) यदि हां, तो जिन मुद्दों पर विचार किया गया उनका ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी परिणाम, विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित, क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का पिछला सम्मेलन 03.07.2018 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसमें विचार-विमर्श किए गए मुद्दों में अन्य मुद्दों के साथ-साथ सौभाग्य-घरों का विद्युतीकरण, इंटीग्रेटेड पावर डेवलवपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) का कार्यान्वयन, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत निष्पादन, सभी के लिए 24x7 विद्युत, कोयले के उपयोग में नम्यता, विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) का अनुपालन तथा सौर और पवन क्षमता आदि के लिए बोली शामिल हैं। विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में हुए निर्णय/सिफारिश, जिनमें आंध्र प्रदेश से संबंधित निर्णय/सिफारिश शामिल हैं, **अनुबंध** में दिए गए हैं।

****

<u>अनुबंध</u>

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

03.07.2018 को शिमला में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों/सिफारिशों, जिनमें आंध्र प्रदेश से संबंधित निर्णय/सिफारिशें भी शामिल हैं, का सार निम्नानुसार है:

1. 31.12.2018 तक 100% घरों का विद्युतीकरण करना।
2. विद्युत अधिनियम और टैरिफ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियां देने के लिए राज्य सरकार को अनुरोध किया गया था।
3. राज्यों को आईपीडीएस योजना के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि मार्च, 2019 तक कार्य पूरा किया जा सके।
4. 15% से अधिक एटीएंडसी हानियों वाले राज्य को हानि में कमी करने के लिए कार्य-योजना/रूप-रेखा प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था।
5. सभी सब्सिडियां सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा उपलब्ध कराई जानी है जो समय पर जारी किए जाने की आवश्यकता है।
6. अनशेड्यूल्ड बिजली कटौती के लिए 01.04.2019 से दंड के लिए प्रावधान होगा।
7. जैवाश्म ईंधन ऊर्जा के स्थान पर विद्युत ऊर्जा के प्रयोग के लिए बल दिया जाना है।
8. 2020 तक निर्मित किए जाने वाहनों में से 30% विद्युत वाहन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
9. क्रमिक रूप से संपूर्ण देश में विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना।
10. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सौर और पवन विद्युत क्षमता की बोली हेतु माह-वार योजनाएं तैयार करेंगे।
11. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आरपीओ अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाना चाहिए और आरपीओ ट्रेजेक्टरी विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 2022 तक दीर्घकालीन ट्रेजेक्टरी के अनुसार होनी चाहिए।
12. सौर आधारित कुकिंग को बढ़ावा देना।
13. कृषि पम्पों का सौरकरण।
14. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 20000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता आवंटन के तहत सोलर पार्कों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था।
15. जैव ईंधन का निपटान पर्यावरण अनुकूल तरीके से करना तथा जैव ईंधन को कोयले के छोटे टुकड़े में परिवर्तित करना ताकि ताप विद्युत संयंत्रों में उनका प्रयोग किया जा सके।
16. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक आरएंडडी मिशन तैयार किया जाएगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-889

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

उदय योजनाएं

889. श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से विद्युत वितरण कम्पनियों के कार्य-निष्पादन पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उदय योजना के लागू होने के बावजूद भी विद्युत वितरण कम्पनियां और अधिक ऋणग्रस्त हो रही हैं;

(घ) क्या मुद्दों को हल करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आकलित लक्ष्यों और अब तक हासिल परिणामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के परिणामस्वरूप राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने (i) समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 2015-16 में 20.80% से 2017-18 में घटकर 18.76% हो गई हैं। 27 में से 23 उदय राज्यों में एटीएंडसी हानियां 2015-16 से 2017-18 में कम हुई हैं; (ii) आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) - वसूल किए गए औसत राजस्व (एआरआर) का अंतर 2015-16 में 60 पैसे प्रति यूनिट से घटकर 2017-18 में 17 पैसे प्रति यूनिट हो गया है; (iii) बुक हानि 2015-16 में 51575 करोड़ रुपये से घटकर 2017-18 में 15132 करोड़ रुपये हो गई है तथा (iv) कुल ऋण नहीं बढ़ा है जैसे कई प्राचलों में अपने निष्पादन में सुधार सूचित किया है।

(ङ) : एटीएंडसी हानियों तथा एसीएस तथा एआरआर अंतर के संबंध में उदय के महत्वपूर्ण प्राचलों हेतु राज्य-वार लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 889 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एटीएंडसी हानियों का लक्ष्य और उपलब्धि							
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूनिट	आधार वर्ष आंकड़े (2015-16)	लक्ष्य 2016-17	उपलब्धि 2016-17	लक्ष्य 2017-18	उपलब्धि 2017-18
1	आंध्र प्रदेश	(% में)	9.41	9.26	10.96	9.00	8.69
2	अरुणाचल प्रदेश	(% में)	64.27	52.41	35.88	43.00	65.45
3	असम	(% में)	25.51	19.00	23.81	17.75	15.71
4	बिहार	(% में)	43.74	36.43	38.97	29.03	33.19
5	छत्तीसगढ़	(% में)	21.79	18.93	19.34	18.00	18.8
6	दादरा और नगर हवेली	(% में)	–	7.95	9.23	7.50	6.09
7	दमन और दीव	(% में)	13.25	10.33	10.65	9.32	10.34
8	गोवा	(% में)	17.12	18.75	16.79	16.59	16.12
9	गुजरात	(% में)	15.04	14.00	12.28	13.50	11.71
10	हरियाणा	(% में)	29.83	24.02	25.43	20.04	20.29
11	हिमाचल प्रदेश	(% में)	12.92	13.25	8.48	13.00	12.14
12	जम्मू और कश्मीर	(% में)	61.6	46.00	61.34	35.00	53.78
13	झारखंड	(% में)	34.71	28.00	31.8	22.00	31.78
14	कर्नाटक	(% में)	14.94	15.50	15.36	15.00	14.48
15	केरल	(% में)	16.03	11.45	17.28	11.23	12.05
16	मध्य प्रदेश	(% में)	23.97	21.15	26.53	19.15	29.74
17	महाराष्ट्र	(% में)	19.07	16.74	18.88	17.51	17.41
18	मणिपुर	(% में)	44.21	28.89	36.89	20.33	24.61
19	मेघालय	(% में)	36.48	32.51	34.87	27.50	34.64
20	पुडुचेरी	(% में)	19.88	19.00	18.98	15.00	19.56
21	पंजाब	(% में)	15.9	15.30	14.46	14.50	17.26
22	राजस्थान	(% में)	30.41	20.11	26.02	17.57	20.02
23	सिक्किम	(% में)	38.06	29.50	40.59	25.94	32.57
24	तमिलनाडु	(% में)	14.58	14.05	14.53	13.79	14.23
25	तेलंगाना	(% में)	13.95	12.45	15.88	11.19	13.5
26	त्रिपुरा	(% में)	20.94	30.00	16.61	25.00	15.52
27	उत्तर प्रदेश	(% में)	26.47	28.27	30.21	23.63	27.67
28	उत्तराखंड	(% में)	17.19	16.00	14.02	15.00	15.73
	उदय राज्यों का औसत	**(% में)**	**20.8**	**18.74**	**20.25**	**16.83**	**18.76**

(उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा उदय पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए अनंतिम पर आधारित हैं।

****

<u>अनुबंध-II</u>

लोक सभा में दिनांक 07.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 889 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एसीएस-एआरआर अंतर का लक्ष्य और उपलब्धि							
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**यूनिट**	**आधार वर्ष आंकड़े (2015-16)**	**लक्ष्य 2016-17**	**उपलब्धि 2016-17**	**लक्ष्य 2017-18**	**उपलब्धि 2017-18**
1	आंध्र प्रदेश	रु./यूनिट	0.82	0.21	0.44	0.09	0.02
2	अरुणाचल प्रदेश	रु./यूनिट	3.76	0	5.22	0	4.32
3	असम	रु./यूनिट	0.58	0.43	0.3	0.19	0.43
4	बिहार	रु./यूनिट	0.65	1.33	0.59	0.83	0.39
5	छत्तीसगढ़	रु./यूनिट	0.18	-1.21	-0.15	-0.34	-0.03
6	दादरा और नगर हवेली	रु./यूनिट	–	0	0.27	0	0.06
7	दमन और दीव	रु./यूनिट	-0.11	-0.36	-0.11	-0.22	-0.02
8	गोवा	रु./यूनिट	1.5	0.75	0.95	0.2	0.41
9	गुजरात	रु./यूनिट	-0.02	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04
10	हरियाणा	रु./यूनिट	0.18	0.83	0.04	0.51	-0.02
11	हिमाचल प्रदेश	रु./यूनिट	-0.32	-0.04	0.21	-0.05	-0.09
12	जम्मू और कश्मीर	रु./यूनिट	2.55	0.68	2.15	0.71	1.96
13	झारखंड	रु./यूनिट	1.22	1.99	1.39	0.99	0.57
14	कर्नाटक	रु./यूनिट	0.06	0	0.06	-0.01	0.07
15	केरल	रु./यूनिट	0.23	0.26	0.53	-0.04	0.27
16	मध्य प्रदेश	रु./यूनिट	0.92	0.34	0.24	0.16	0.33
17	महाराष्ट्र	रु./यूनिट	0.3	0.36	0.28	0.01	-0.07
18	मणिपुर	रु./यूनिट	1.31	1.68	0.1	0.64	0.08
19	मेघालय	रु./यूनिट	0.88	0.83	1.99	0.61	1.3
20	पुडुचेरी	रु./यूनिट	0.03	0	-0.11	0	0
21	पंजाब	रु./यूनिट	0.53	0.37	0.65	0.04	0.48
22	राजस्थान	रु./यूनिट	1.65	0.4	0.36	0.2	-0.33
23	सिक्किम	रु./यूनिट	7.96	0.7	4.62	0.39	6.93
24	तमिलनाडु	रु./यूनिट	0.6	0.2	0.39	0.05	0.28
25	तेलंगाना	रु./यूनिट	0.69	0.87	1.24	0.4	0.55
26	त्रिपुरा	रु./यूनिट	0.24	0.05	0.02	0.04	0.08
27	उत्तर प्रदेश	रु./यूनिट	0.88	1.04	0.62	0.6	0.28
28	उत्तराखंड	रु./यूनिट	0.1	0.04	0.22	-0.01	0.17
	उदय राज्यों का औसत	**रु./यूनिट**	**0.60**	**0.48**	**0.42**	**0.24**	**0.17**

(उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा उदय पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए अनंतिम पर आधारित हैं।

****